

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

अ.सू.सं.— 5 / विविध—14—22 / 2014:—

रॉची, दिनांक:—

अधिसूचना

जल संसाधन विभाग, रॉची के अधीन निम्नलिखित आयु—व्ययक शीर्षों का झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम—148 में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री सुदर्शन प्रसाद पाण्डेय, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, रॉची को अगले आदेश तक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

- (i) मुख्य शीर्ष—3451—सचिवालय आर्थिक सेवाएँ—लघु शीर्ष—090— सचिवालय उप शीर्ष—09, जल संसाधन विभाग।
- (ii) मुख्य शीर्ष—2701— मध्यम सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष—80—सामान्य, लघु शीर्ष—001, निदेशन तथा प्रशासन उप शीर्ष—01 मुख्यालय सचिवालय स्थापना।
2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

ह0/-

(अवधेश कुमार जायसवाल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:—5 / विविध—14—22 / 2014:—

रॉची दिनांक:—

प्रतिलिपि:— महालेखाकार, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अवधेश कुमार जायसवाल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:—5 / विविध—14—22 / 2014:— 491

रॉची दिनांक:— 01/02/19

प्रतिलिपि:— कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार नेपाल हाउस, डोरण्डा, रॉची/जिला कोषागार पदाधिकारी, रॉची/बजट शाखा, वित्त विभाग, रॉची/निदेशक, सामान्य भविष्य निधि निदेशालय, धुर्वा, रॉची/शाखा प्रबंधन, भारतीय स्टेट बैंक नेपाल हाउस, रॉची/महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, रॉची/ श्री सुदर्शन प्रसाद पाण्डेय, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग/विभागीय मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों/लेखा शाखा/रोकड़पाल/सभी कर्मियों/वेब इन्फौर्मेशन मैनेजर को विभागीय पोर्टल पर सूचना UPLOAD करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अ.सू.सं. 01/02/19

(अवधेश कुमार जायसवाल)
सरकार के अवर सचिव।